



श्रमायुक्त कार्यालय
मध्य प्रदेश शासन,
इन्दौर

न्यूनतम वेतन
एवं
मंहगाई भत्ते की दरें
दिनांक 01.10.2023 से प्रभावी

न्यूनतम वेतन की दरें श्रम विभाग की वेबसाइट
www.labour.mponline.gov.in पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

के अंतर्गत श्रमिकों हेतु

दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील

महंगाई भत्ते की दरें

01 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क्र. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची-"क"	पृष्ठ क्रमांक 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 17-19
वीडी नियोजन	पृष्ठ क्र. 20-28
अगरबत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 29-35
अन्य	पृष्ठ क्र. 36-38

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अल्पे/पांच/2015/ **28003-252**

इन्दौर, दिनांक **25/09/2023**


अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशाली न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपाठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/513/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं श्रीकांत बनोठ, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त किया गया, माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2023	382.46
फरवरी, 2023	382.78
मार्च, 2023	383.90
अप्रैल, 2023	386.50
मई, 2023	387.94
जून, 2023	387.83
औसत सूचकांक	2315.81 ÷ 6 = 385.96 (386)

यथा इच्छा औरत 386 घोषित करता हूँ, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये अंततः निर्वाह व्यवस्था सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके अन्तर्गत श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बो)। 2014 तः लागू है, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राज्य) क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय है।

म.प्र.राज्य दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ 4(सो)।-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय निरोजनों के श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन की दरें सुनिश्चित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014), 2001=100 को आधार मानकर संयोज की गई है। जो कि दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सहायक प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014) 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वै./पांच/2015/ ~~28.003-252~~ दिनांक ~~25-09-2023~~ के अनुसार जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छः माहों का औसत 379 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 379 के उपर (386-379)- 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये (25X07)= 175/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-241) 145 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (25X145)= 3625/- प्रतिमाह या (3625=26) रुपये 139.42 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-253)- 133 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि (25X133) 3325/- प्रतिमाह या (3325=26) रुपये 127.88 प्रतिदिन रुपये दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि 5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में उल्लिखित पद्यगत सहयुक्त मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा रासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-"क" के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।


अनुसूची - अ

67 अनुसूचित निधीजनों में मासिक एक दिवसीय वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपये में)

व्यक्ति का नाम	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपरेखा में संश्लेषण कर देना है		श्रेणियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपरेखा में संश्लेषण कर देना है	
	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह			
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक								दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
4500	750.00	4150	127.15	4550	127.15	371	अकुशल	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378	
7057	274.42	3450	137.69	10507	137.69	409	अर्धकुशल	7057	274.42	3625	139.42	10682	410.85	411	
8435	374.42	3450	137.69	11885	437.12	457	कुशल	8435	374.42	3625	139.42	12060	463.85	464	
3735	374.42	3450	137.69	13185	507.12	507	अध्याकुशल	5735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514	

स्पष्टीकरण -

- 1) अनुसूचित निधीजनों के 20 से अधिक व्यक्तियों के पूर्णतया नए अर्थात् नए कर्मचारी हैं जिनके ही दैनिक एक मासिक अनुसूची निर्धारित की जायेगी। विद्या विभाग के परिचय क्र. एफ 5-7/2023/ विद्या/प्र.स. दिनांक 20 नवंबर, 2023 में अधिसूचना क्र. 18 से अधिक दिनों के लिये उन्हें अगले उच्चतर काले में पूर्णतया विद्या जायेगा और 50वीं से कम शक्ति को खंडित किया जायेगा। विशेष टीप : उपरोक्त अनुसूची का जो निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 20 दिनों से 'धेमा'जित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कार्यवाहियों एवं शर्तों को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात् मासिक वेतन जो भी साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जा सकेगी।
- 2) कुशल श्रेणी के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर वेतन बढ़ी श्रेणी द्वारा निर्धारित आर्थिक श्रेणियों के लिए अगले भारतीय उपमहात्ता राज्य सूचकांक 251 (200-100) जुलाई 2014 से दिसंबर, 2014 के अन्तर्गत आंकड़ों के अन्तर्गत 251 सूचकांक के अन्तर्गत 6 गाइडेंस जो अंग्रेज बृद्धि होगी, इस अनुसूची में उपमहात्ता राज्य सूचकांक से बढ़े हुए 200-100 अन्तर्गत, जहाँ जो निर्धारित है, प्रतिदिन-3 प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जायेगा।
- 3) इस प्रकार अधिसूचित सूचकांक वेतन की दरें का प्रयोजन 'कमी' में कार्यवाही पर प्रतिवृत्त नकार नहीं किया जायेगा, यदि नियुक्त वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की तुलना में दलों से अधिक होंगी यह दिवसीय या मासिक वेतन की जायेगी जो कि न्यूनतम वेतन को इस प्रकार से कम नहीं हो जाता है। अनुसूचित अधिसूचना, 1948 को धारा 12(1) (a) के अन्तर्गत वेतन अधिसूचना, 1948 का अन्तर्गत 67 अधिसूचित निधीजनों की सभी परिशिष्ट अ तथा इस सूची में स्पष्टीकरण परिशिष्ट-अ से दूरे



 (श्रीकान्त बनीठ)
 अमापुस्त,
 मध्य प्रदेश, इंदौर

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है

क्र.	अनुसूचित नियोजन	भाग - एक
1	किसी कपास उद्योग एवं पोलेरीन कारखानों में नियोजन	
2	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन	
3	किसी गाड़ी के निर्माण या मरम्मत या अलग निर्माण कार्य में नियोजन	
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन	
5	किसी इंजीनियरिंग शोध में नियोजन	
6	किसी सिंचाई कार्य के निर्माण तथा संधारण में नियोजन	
7	किसी वाणिज्य तथा फार्मास्यूटिकल्स में नियोजन	
8	किसी आरा मिल में नियोजन	
9	किसी लकड़ मिल में नियोजन	
10	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन	
11	किसी सर्वांगीण निर्माण में नियोजन	
12	किसी व्यापार उद्योग में जिसमें केबल, टेलिग्राफ, कम्प्यूटरी, टेलीफोन, टेलीग्राफी सम्मिलित हैं के निर्माण में नियोजन	
13	किसी पाथर तोड़ने का पत्थर चित्रों के कार्य में नियोजन	
14	किसी दूधान, वाणिज्यिक स्थापना, आवासीय भवन, रेस्टाउरेट तथा वाहनधुने में नियोजन	
15	किसी नहरपालय में नियोजन	
16	किसी गॉल्टेड एंड एडवांस्ड सीमेंट में निमित्त उद्योग में नियोजन	
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन	
18	किसी ग्यूपल कार में नियोजन	
19	किसी रसायन उद्योग में नियोजन	
20	किसी दूध मखे में नियोजन	
21	किसी मोटरगाड़ी/किसी सायनियम एवं मोटोर्सिग जी सम्मिलित हैं, में नियोजन	
22	किसी रसायन पधिकरण में नियोजन	
23	किसी लकड़ उद्योग में नियोजन	
24	किसी रसायन उद्योग में नियोजन	
25	किसी पादरीज जिसमें टेलिग्राफी सामान, वायुविद्युत टेलिग्राफी वेयर, इन्सुलेशन, टाईल्स, सीमेंट के निर्मित लकड़वा लोडकर, स्टेन गैस पाईप, कनेक्स, लाईनिंग, टैक्स तथा अन्य सोर्सिबस सामान सम्मिलित हैं, में नियोजन	
26	किसी कच्चा निर्माण कार्य में नियोजन	
27	किसी स्लैट, पेंटिंग निर्माण शाला में नियोजन	
28	किसी लकड़ उद्योग में नियोजन	
29	किसी लकड़ लकड़ के निर्माण में नियोजन	
30	किसी रसायन उद्योग में नियोजन	
31	किसी वायुविद्युत में नियोजन	
32	किसी लकड़ निर्माण उद्योग लकड़वा, आवासीय व टेलिग्राफी कार्य लकड़ उद्योग भाग में प्रयुक्त लकड़वा सम्मिलित हैं, परन्तु सीमेंट के निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं हैं, के निर्माण में नियोजन	
33	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा दोहवा में परिभाषित की गई है, लागू जाती है जो अनुसूची में दी गई किसी उद्योग प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आती हैं, में नियोजन	
34	किसी वायुविद्युत उद्योग में जिसमें वायुविद्युत केन्द्र तथा विनिर्माण शाला (पथाना निर्माण) उद्योग सम्मिलित हैं, में नियोजन	

35	किसी एचयूएट शैक्षणिक संस्था, जिला कॉलेज केन्द्र में शामिलित है, में नियोजन
36	किसी गैर-कर्मचारी कार्य में (रिजिस्ट्रार) वस्तु शैक्षणिकता में नियोजन
39	किसी स्थान जैसे कलेज, कूरन, वेधशैल, बाल्डर, बरुन शिगडा, कथारण री, विन्डिंग स्टोन, रोड मेटल अथ पुल्स, अन्य और लाइन स्टोन तथा अन्य स्थान जो पान अधिनियम की धारा 3 के स्थान छूट प्राप्त है, में नियोजन
40	किसी ऑटोमोबाइल कर्मशाखा एवं मरम्मत हेतु संचालित शील्डिंग में नियोजन
41	किसी बेकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा अनियमित स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्तरां तथा भोजन-स्थ में नियोजन
45	किसी सिनेमाहॉल या थियेटरों में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आसपास या किसी अन्वेषणगुरुत्व
48	किसी अधिकांश या अंशों के वागीकर्य में नियोजन
49	किसी इतर कर्मिण सेवा या व्युत्पन्न कार्य में नियोजन
50	किसी उपकरण या वेस्टिबुल (कीटनाशक उपा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी डिप्लिंग वाहन या टयूबवेल के अद्वारण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रिशियन या लघु-कार्य में नियोजन
53	किसी वेल्डिंग या डीजल वर्गा में नियोजन
54	किसी के किसी, बुद्धि कार्य में नियोजन
55	किसी रोले और धारी के परतुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी औद्योगिक और टैक्स बनाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपन्न शोकायिकी, अपभोक्ता को अन्वेषित, शोकायिकी और लक्ष्यके बैंक (को अन्वेषित बैंक में नियोजन)
59	किसी होकर्य में नियोजन
60	किसी मायुन शिमा (किसी डिप्लेट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेगरी और दूध में उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलाता खिलाण, डिप्ले कपडों के निर्यात शिमा में शामिलित है, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा शिपिंग में शामिल में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर-कुरियर गैर-सेवाओं में नियोजन
65	किसी गंगा पीपीपी कार्य में नियोजन
66	किसी अन्वेष, डी, एच तथा री ही अथ लक्ष्य प्रसंस्करण में नियोजन
68	किसी टैगड़ों एक अन्य वस्तुओं के विपन्न उपकरण कार्य में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी सुशासनिक कार्य में नियोजन
72	किसी सहायक शिमाओं के कार्य में नियोजन

भाग - दो


 (श्रीकान्त बघाट)
 श्रीमान्,
 राज्य प्रदेश, इंदौर

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में आनाए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्गों के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर बड़ी होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारियों की परिभाषा -
 - (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे इस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।
 - (ख) "अर्द्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो, जिसमें कि उसने ज्ञानी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा लियुगता की अपेक्षा न की जाती हो, किन्तु उसमें मापदंडित रूप से बड़े छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें अल्पव्ययी निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हो, इस प्रकार उसका कार्य संबंधित रोजमर्रा के कार्य के चलते तक ही सीमित है।
 - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करता है, जिसमें स्वल्प निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक शक्त के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
 - (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीक शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए सख्त तकनीकी या व्यावसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्ण और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मचारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बावद विनियोजित जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है, जिसने किसी स्तरीय पकनीकी या व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उचित अधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काली हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सामान्य नियंत्रण ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तन्वीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हे उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रयत्न किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, जो यह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी। जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समान नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए)।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील संशुद्धि अन्तों के योग में प्रतिकूल होने पर वह समझा जायेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील संशुद्धि अन्तों दिये जाते या प्राप्त किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील संशुद्धि अन्तों का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील संशुद्धि अन्तों के योग से कम है, तो शक्ति अंतर की शक्ति के लिए पात्र होगे।
6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम गजदूरी अधिनियम 1948 (अनुच्छेद 11 एवं 1948) की धारा 13 की अध्याय (1) के खण्ड (ख) में अपील परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में परिवर्तित सम्मिलित है।
7. जहां कर्मचारी अथवा दर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उल्लेख किए गए दर इस प्रकार निर्मित की जाए, जो सात पन्धे दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सप्ताहिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
8. यदि एक से अधिक नियोजकों में एक ही प्रकार का काम होता है, तो सर्वोच्च कर्मचारियों को वेतन दरें देय होगी।
9. कर्मचारियों के पक्ष में विभिन्न वर्गीकरण में बताया गया है, कि उद्देश्य स्वरूप है, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी का इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं है, कि लिए न्यूनतम वेतन की दर वहीं होगी जो समान शक्ति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। शक्ति एक कर्मचारी को वर्गीकरण की सूची सहाय है।



(श्रीमान्त बनोठ)

अस. आयुक्त,

अध्य. भद्रेश, इटार

अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ सूची :-

अकुशल -

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिरती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अपशिक्षित शाली, चपरासी/प्यूल/भूत्थ, चौकीदार, आईल इन्स्पेक्टर, वाटरमेन, बन्लासी, क्लीकल अटेंडेंट, पहरेदार, कुली, ड्रक रनर, वॉचमेन, गेटल क्लीनर, वेटर, सर्विस-मेन, गेटकीपर, ट्रांसी कोय, पोस्टरमेन, वेन्डर, फेसमेन, छेडेवाला, सिलाई ओपनिंग, ड्रॉपिंग कार्य करने वाला, घरवाह, कांजी हाउस मेन, लॉयसेंसड वेटर, चालवाही आधा, गाम लक्ष्मी, जहादार, मजदूर प्याह पर धानी पिलाने वाला, रोलकटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (इन्स्पेक्टर), गली बेग फिलर, लिटकेरियर, कंटेनशीट्स कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाड़ूवाला, बौडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भाप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नर्सरी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरी की सिलाई करने वाला, गन्ना झालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोइये के सहायक, हवलदार, कार्टिंग लेपर पीकर, बोरी भराई, छभाई, दुलाई, वेगन लवई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आधा, वार्डबॉय, सेक्युरिटी गार्ड/सुरक्षाकर्मी, अटेंडर, अटेंडेंट, वार्ड सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमेन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), चादर में गौटा लगाने वाला, हस्तगत, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, पेश का काम करने वाला, लॉन्गमेन, वॉशरमेन, लॉन्ग-प्रवलोडिंग, माला गूथना, पण्डे ढोलने का कार्य, वेसबॉय, वेटर, रुम अटेंडेंट, धाग कार्टिंग, वेडिंग, बाटल एन डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफ्टर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्ध कुशल -

तार स्पेअर, तार टेण्डर, क्लिपेट ट्रेसर, व्हाईट वाशिंग/सफेदी वाला, आईल टर्नर, पेशर, टाइपिस्ट, क्लर्क, जोहरर, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक डिजली मिस्त्री, सहायक ऑपरेटर-वाटर टर्कर, वॉचलर, हाफ पेस्टमेन, विल मेन, सहायक मैकेनिज, सहायक फिलर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक रिपर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक बल्कलाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शीपरमेन, सहायक पैटन मंकर, सहायक बीस्टर, सहायक आईलर, सहायक टायर फीटर, चालक (हल्के वाहन), परिवारिक, जांच करने वाला निरीक्षक, वाटरमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेंडेंट, व्हीलबरो कैरियर, कचरीमेन, व्हायटनिंग, फ्लोनिंग, प्रेसरी ड्रायर, टेबलेट मशीन ऑपरेटर, गेटल फिलर, वेल्डर फीलर, ड्रिंकिंग, लेवलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, जेट, हेड मजदूर, वायरमेन, एक्सापेलेर मेन, मशीन अटेंडेंट, विल क्लेक्टर, बिल क्लर्क, रिवाइन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोइया, पेटोमेन, सहायक सेल्समेन, स्प्रालची, सहायक मेसिन, गारेवाला, मिट्टी गंधने वाला या मिट्टी या धोल बनाने वाला तथा निखालने वाला, अट्टे या चिमनी पर ईट जमाते वाला, मशीन ओवर, स्टोनर फेल्ड, टेन्सोवर, जाटानालर, गंजाला, सहायक जंगर, सहायक सचिव, जलपट पचाया/प्याज पंचावत, साईलर, मशीन पर कोसा फल से धाग निकालना तथा धागे को मशीन से ट्रिबुट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक हारवार्डर, फॉरमेन के सहायक, शक्कर बलाने वाला कारीगर, फिलिशिंग कार्य में सहायक, क्लाइ कर्मचारी, उन क्लाइ कर्मचारी के कर्तव्य, फटर होजिथर, चीफर, सहायक पैन ऑपरेटर, सहायक साटर, नुशी, जार्मीसो असिस्टेंट एक्सो असिस्टेंट इंसो असिस्टेंट, असिस्टेंट कपाउलर, असिस्टेंट नरी, लिन्डमेन, सहायक सिग्युरिटी सुपरवाइजर, कार्पेन्टर, असिस्टेंट हेमरमेन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन अटेंडेंट, पम्प खलाशी, ट्रिपिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किलन्स रांग श्रमिक, पंप ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किलन्स श्रमिक, ब्लेजर पैन

मिल, फिच-शन, किलन्स अनलौडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेन्डसा ओपरेटर, चिपर, मैकेनिक क्लम हेल्पर, बेन्डसा मैकेनिक क्लम हेल्पर, सहायक एाल्टर, सहायक मशीनमेन, बित्री सहायक, सूत स्टोक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक ब्रिक्मरमेन, सहायक टेक्निशियन, डर्फकूम सहायक, सहायक जिम ट्रेनर, सहायक वॉच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग क्लर्क, ड्रेसर, आया, पेकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लूम टकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पोलिश चाला, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लांट ऑपरेटर, सहायक गाइड, केअर टेकर, माइयूजर रू आर्टिस्ट, बर्क सहायक, सहायक सर्वेयर, जेनीटर, वेक्चूम क्लीनर तथा अन्य अद्वैकृत कर्मचारी आदि।

कुशल -

मेसिनरी, शांवल एण्ड केज लाईन मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेसिन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वयरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुसूचित मण्डल से लायसेन्सधारी), केबिनेट मेकर, यार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउन्टेन्ट, केशियर, गौहाइलकीपर, फीटर, बॉयलर अटेंडेंट, टनर, मोल्डर, जे.सी.बी. ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोडरोलर ड्रायवर, चालक(भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, डिलर, ग्राइन्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, पेशर मेन, राईस मिस्त्री, सुपरवाइजर, खानासामा, कुक, तद्वर्गी, टी-मास्टर, आर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनाने वाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, इंटेल्लेक्ट, रात्रिब, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बाल्चडी या अग्रगामी, ऑपरेटर वाटर वर्क, उपरती बिजली, चालनालय संयोजक, सिनिगर गाई, फर्नरमेन, फिल्टर इजाज ऑपरेटर, मुनीम, वुड पॉलिशर, वीर, टिनरिअध, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, ल्पेकस्त्रिय, शेपर, तलकनाइजर, टिकर, फेसमेकर, अपातेलरटर, कारपेटर, टेलिफोन ऑपरेटर, नायरलेस ऑपरेटर, पेटर्नमेकर, हेमरमेन, बॉसर, पर्यवेक्षक ल्कनशियन/लेबोरेटरी टेक्निशियन, शांवल, बेलसिंकर, पर्यवेक्षक सहायक, वॉचमेकर, प्लाण्ट अटेंडेंट, मोटरमेन, भट्टी वाला, पेंटर, मोटोकॉपी ऑपरेटर, लोडर, अनलौडर, लाईन मेकर, बिजली बिस्त्री, तिरागिस्ट, ट्रल्ट इंचार्ज, ल्पेक शिनिस्ट, कन्टाई इंचार्ज, कन्ट्रोसर ऑपरेटर, लॉण्डी अटेंडर, कन्व्यूटर टागपिस्ट, सिक्चुरिटी सुपरवाइजर, मोनिटर कम्पाउण्डर, मोनिटर वरी, रेकार्डकीपर, ऑ.टी.मैकेनिक, ल्पेकस्थापक, छत्रवास प्रभारी(वाहन), दर्जी, रोलर मिस्त्री, ल्पेकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, वॉचमेकर, चरखा चालक, मरटर (कारीगर), जेफाइ युनकर, बुनकर, फ्रेनलूम मास्टर, ड्रेसरमेन, पेंटर, बरिष्ठ लेखापाल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, वुड पॉलिशर, ड्रायफ्लीन होजर, स्वेपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, मोनिटर मेकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेक्नीशियन के सहायक, लायब्रेरियन (ग्रन्थालय), पाईपमेकर ऑपरेटर, पॉलिशर, ट्रल्ट इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्टी सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक क्लम ऑपरेटर, नैडर, पेटस मैकेनिक क्लम ऑपरेटर, स्वैकनिक सचिव, सेल्समेन, आउट सिक्चुरिटी गाई, बाइन्डर, क्लव मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्ट ट्रेनर, कोच, डायटिशियन, मसाजर, केप्टन, वारमेन, स्क्वैड, रेकरी कारीगर, ओवर/भट्टी कारीगर, मशीन से निट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई मोटर, तार बिधना, आभूषण जडाई करने वाला, सोन मेकर, प्लाण्ट ऑपरेटर, टॉय मेकर, स्टिन्कर, रिफ्लेक्निस्ट, माली, हाथ धुलाईकर, इटा भट्टी ऑपरेटर गाराजा मिश्रण करने वाला, गाटा रूशने वाला, चेकर, प्रोटेक्ट ऑपरेटर, पॉलेकशनिस्ट, रिवाइन्डर, हेडक्व, सर्वेगर, गाइड, सुपरवाइजर, राटर, वाइण्डर, मेकेनाइज्ड हाउस कीर्तण, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी

उच्च कुशल -

मैडिकल एव इंजीनियर स्नातक, एम.टेक/एम.एस.सी. डिग्री प्राप्त हाईस्को इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियोलाॅजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर इंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर इंजीनियर, कन्सल्टेन्ट, सिनियर कन्सल्टेन्ट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, साफ्टवेयर डेवलपर, मैडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, टेरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, साईन्टिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या इलाका का समुचित ज्ञान हो जिसमें यह नियोजित किये जा रहे हैं।)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची -

उच्च कुशल -

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

लिपिकीय श्रेणी "एफ" जैसे -

एकाउन्टेंट, केशियर आदि।

लिपिकीय श्रेणी "दो" जैसे -

बिल मेन, टायपिस्ट, क्लर्क आदि।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कांपी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिन्टर तथा लेथब्लेड प्रिन्टर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिन्टर आदि।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

केमर ऑपरेटर, कम्प्यूटल आर्टिस्ट, डाफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफटिपग्राफर, डायकलरेक्टर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मैकेनिक, मैकेनिक मोनोटाईप, फी-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मैकेनिक, रोटररी प्रेसमेन, रैक्शन होल्डर, सिनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे -

कम्पोजिटर, हाईप्रिन्टर, ट्रांसफर प्रिन्टर, सिनेप्लर प्रेसमेन, गिल्डर क्लरिफायर, टूडल प्रेसमेनग्राफर, निगेटिव ऑपरेटर, रिवाइन्डर स्ट्रीचर मशीनमेन, कटर, बाइन्डर, सेविंग मशीनमेन, रुलिंग मशीन मेन, पाथर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "एक" जैसे -


लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निशमेन, वेक्सीनर, वॉक्सोन मशीनमेन, असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिन्टर, असिस्टेंट लिथोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, बेनर स्टोन पॉलिशर, असिस्टेंट वाणी प्रेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोल प्रिंटिंग आदि।

अर्द्ध कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

स्टूडिंग फार्मकीपर, ट्रेसर, फोटोडुप्लिकेशन मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाधक पंचर, हेण्डबुक या इन्वेंटरी मेकर, डिजिटलक्यूटर, असिस्टेंट केमरा ऑपरेटर, असिस्टेंट एयर, लेटर प्रेस फिटर, क्लाइंट चेकर, नम्बर या सेजिंगमेन, चेकर पुफ कालर या गैली प्रेसमेन, टाईपसेटर, रोलर नेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लेटर पंचर, क्लिपिंग फिडर, विजिंगमेन, इन्डोर, हार्कलूय असिस्टेंट, फाइण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइंडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर ग्राइन्डर, जूनियर मशीन मेन, लीडोबारमेन, रिटेल सप्लायर फंडर स्टोरिंग, ट.ईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि।

अकुशल श्रेणी जैसे -

रोटरी रिक्लर, हेण्डपोल्डर, बालर, हेल्पर ग्राइंडिंग बायलर क्लीनर, मजदूर आर्किवल्स, गैलीपूफ प्रेसमेन, बायलर अटेंडेंट, इन्सूलेटर, इन्कर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, क्लिपिंग बाय, रोलर कन्टर, धाँकीदार, प्लून, माती, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोल प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाले कर्मचारी आदि।


(श्रीकांत बबोड)

श्याम आनन्द,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

अनुसूची - ब

किस्ती ब्लैट पेंसिल निर्यात शाला में नियोजित

मासिक एवं दैनिक वेतन दरें विभिन्न परिकल्पनाओं सहित अग्रा समितिलिखित हैं (आंकड़े रुपये में)

न्यूनतम वेतन	परिकल्पनाएँ		कुल वेतन		जाने से	शान्ति का वर्ग	न्यूनतम वेतन	परिकल्पनाएँ		कुल वेतन	रुपये में			
	मासिक	दैनिक	मासिक	दैनिक				मासिक	दैनिक			मासिक	दैनिक	
6500	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371	गार्ड	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
6705	257.85	3450	132.69	10155	390.58	391	वेयर, पट्टी वेयर सीप	6705	257.85	3625	139.42	10330	397.31	397
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	मुनीम, लेखाकार, मालके आदि	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
9522	365.71	3450	132.69	12972	498.92	499	निरी, लेनके पाइन्टर्स	9522	365.71	4825	139.42	13147	505.65	506
9715	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507	उच्च कुशल	9715	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
10155	390.57	3450	132.69	13605	523.27	523	स्टरी	10155	390.57	3625	139.42	13780	530.00	530

समाप्तीकरण :

1-अनुसूची निर्धारण में जैसे तथा रुपये के गुणवत्ता को सतृप्त रूप कर्क 03 दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। पेंसिल विभाग के परिपत्र क्र. एक 3-7/2006/निचम/रा. दिनांक 20.10.2008 को इन्होंने जन्मवा उससे उपरोक्त केंद्र से ला, अन्य उचित कारणों से पूर्णकाल किया जायेगा और 50% से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

2-अनुसूची निर्धारण के लिए उपरोक्त सभी वेतन दरों पर लेबर स्ट्रेटिजिक विभाग द्वारा निर्धारित आर्थिक कमिशन के लिए अखिल भारतीय उपलब्धता सूचकांक 253 (2001=100) सुनाई, 2014 से दिनांक, 2017 के उपाय संकेतों के औसत पर आधारित है। 2017 सूचकांक के अंतर प्रति 6 साल में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में उपरोक्त सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 जनवरी एवं 1 जनवरी, 2020 को विगति हो, एंटीवेन्दू प्रविभाह 21 साल के विभाव से परिकल्पनाओं मंजूर जल्दा घोषित किया जायेगा।

3 इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रयोग किसी भी मानक पर परिकल्पना नहीं जायेगा, यदि नियमान वेतन दर 2 न्यूनतम वेतन की तुलना में उच्च हो जायेगी, तो वह निर्यात की दशा में कम नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उचित समझा नहीं हो जाती है। (अनुसूची अधिसूचना, 1948 की धारा 12(1-2))


(श्रीकान्त बनोठ)

प्रसायुक्त,
अध्य. प्रदेश, इंदौर

अनुसूची - क


मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में अर्थात् दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्तबगारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की निसर्ग

परिवर्तनीयता में बढ़ाई भत्ता सम्मिलित है (आंकड़े रुपयों में)

न्यूनतम वेतन		परिवर्तनीयता में बढ़ाई भत्ता		कुल वेतन		भारत में सर्वोच्च कर्तबगारों के दैनिक दर		न्यूनतम वेतन		परिवर्तनीयता में बढ़ाई भत्ता		कुल वेतन		भारत में सर्वोच्च कर्तबगारों के दैनिक दर
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक														दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500	216.66	3150	105.00	9650	321.67	327	जकुशल	6500	216.66	3325	110.83	9825	327.50	328
7057	235.23	3450	115.00	10507	350.23	350	अर्धकुशल	7057	235.23	3625	120.83	10682	356.07	356
8425	280.83	3450	115.00	11875	395.83	396	कुशल	8425	280.83	3625	120.83	12060	402.00	402
9725	324.50	3450	115.00	13175	439.50	440	अधकुशल	9725	324.50	3625	120.83	13360	445.33	445

सूचकीकरण -

- 1) राजस्व निष्ठा में वेतन तथा रुपये का गुणवत्ता को वास्तविक करके ही दैनिक एवं मासिक नवदारी निर्धारित की जायेगी। दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक, दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक अर्थात् इनके अन्तर्गत वेतन की दरों को 30 दिनों के अन्तर्गत वेतन में पूर्णतः किया जाएगा और 30 दिनों में क्या राशि को रखा गया विशेष रूप से स्पष्ट अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिनों में विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कार्यवाहियों एवं श्रमिकों को वेतन गतिनामिका प्रकाश में होना, अर्थात् मासिक वेतन में ही वृद्धि का प्रकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जायेगी।
- 2) न्यूनतम श्रमिकों के लिए बढ़ाई गई वेतन की दरें 30 दिनों के अन्तर्गत वेतन में पूर्णतः किया जाएगा और 30 दिनों में क्या राशि को रखा गया विशेष रूप से स्पष्ट अनुसूची-क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिनों में विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कार्यवाहियों एवं श्रमिकों को वेतन गतिनामिका प्रकाश में होना, अर्थात् मासिक वेतन में ही वृद्धि का प्रकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जायेगी।
- 3) 30 दिनों में निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों का अन्तर्गत वेतन को कर्तबगारों पर प्रोत्साहित करना नहीं जायेगा बल्कि दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक, दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक अर्थात् इनके अन्तर्गत वेतन की दरों को 30 दिनों में विभाजित कर निर्धारित की गई हैं, इसलिए सभी कार्यवाहियों एवं श्रमिकों को वेतन गतिनामिका प्रकाश में होना, अर्थात् मासिक वेतन में ही वृद्धि का प्रकाश के लिए कोई कटौती नहीं की जायेगी।


(अधिकृत बजट)
प्रशासक,
मध्य प्रदेश, इंदौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 2/1/अन्व/पांच/2015/ 28253-502


इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

मध्य प्रदेश राज्या में एम्प्लॉयमेंट नियुक्त वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(च) में विहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ.वीरेन्द्र सिंह रायत, श्रम-युक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के होवर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:

माह / वर्ष	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जनवरी, 2023	1170
फरवरी, 2023	1171
मार्च, 2023	1175
अप्रैल, 2023	1180
मई, 2023	1186
जून, 2023	1196
औसत सूचकांक	7068 : 6 - 1179.52 (1180)

तथा इनका औसत 1180 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कार्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(बी)-1-70/4-ए-कोलह, दिनांक 04.05.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक परिवर्तनशील नंगवाई भरा देय है।


(बी.एस.एन. वनीस)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये दिनांक 1.10.2023 से 31.03.2024 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीकित दरों के संबंध में विवरणात्मक टोप :-

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(बी)/1-2014-ए-सोनह, दिनांक 04.03.2014 (म.प्र.रुजपत्र असाधारण भाग 4(अ) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिए पुनरीकित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्र. 2/11/अन्व./पाथ/2015/28253-502 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार कृषि नियोजन में जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1180 रहा है। गत छः माहों का औसत 1152 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1152 के ऊपर (1180-1152) = 28 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजन में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रुपये 8/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये (6x28) = 168/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (1180-768) = 412 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (112x6) = 2472/- प्रतिमाह या (2472x30) रुपये 3240 प्रतिदिन यानी प्रतिमाह महंगाई भत्ते सहित देय देता 5350+2472 = रुपये 7822/- तथा 7822+30 रुपये 760.73 (राउण्ड-अप रुपये 261/-) प्रतिदिन (30 दिन के मान में) दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची- द के लिए)।


**अनुसूची - द
कृषि में नियोजन**

मासिक एवं दैनिक वेतन एवं दिवसे परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता सम्मिलित हैं (आंकड़े रुपये में)

व्यवस्थापक पद	परिवर्तनीय वेतन		कुल वेतन		स्वयं से सम्बन्धित कर दैनिक दर	कर्मिकों का वर्ग	अनुसूचित वेतन		परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		स्वयं से सम्बन्धित कर दैनिक दर	
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन		
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक							दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
5350	178.33	2304	76.80	7654	255.13	255	अनुसूचित कृषि अधिकारी	5350	178.33	2472	82.40	7822	260.73	261

गणनीकरण - परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता :

- (1) अनुसूचित वेतन की दर तथा परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता, जो वेतन चूरी शिवाय द्वारा निर्दिष्ट अन्वित भारतीय कृषि अधिकारियों का मुख्य सूचकांक 758 (1986-87-100) अनुसार से अनुसूचित वेतन आंकड़े के अन्तर्गत के उपर प्रति 5 माह में हुई अन्वित चूरी के अनुपात से 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिदिन प्रतिमाह रुपये 67 रु. 50 पैसे के मान से देय होंगे। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की गणना का आरम्भ से दिसंबर तक छ. माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते की गणना का आरम्भ से नवम्बर तक छ. माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रकाशित की जायेगी।
- (2) अनुसूचित नियोजन में ऐसे तथा स्वयं से सम्बन्धित कर्मियों को दैनिक एवं मासिक वेतन निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एन.3-7/2006/नियम/च.प्र. दिनांक 20 दिसंबर 2006 से 50 पैसे अथवा उससे अधिक जैसे ही हो, उन्हें उचित उच्चतर रुपये में पूर्णकृत किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मियों का दैनिक वेतन 30 से माह लेकर सम्पादन किया जायेगा।
- (4) मासिक वेतन अनुसूचित वेतन की दरों का प्रदर्शन किसी भी व्यंजनों पर प्रतिवृत्त प्रभाव नहीं मिलेगा, यदि नियत वेतन की दर अनुसूचित वेतन की फुलरिडिग दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं हो जायेगी, जब तक कि अनुसूचित वेतन की दर उक्त सम्बन्ध नहीं हो जाती है। (न्यूनवेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-2))
- (5) 51 अनुसूचित व अनुसूचित वेतन से अधिक एवं पूर्णकृत के लिए एक मन्त्रालय नियत है।
- (6) कृषि विभाग के अधिनियम तर्ज नियोजनों के लिए निर्धारित अनुसूचित वेतन दरों में अनुसूचित अनुसूचित अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत (2) के अन्तर्गत परिचालित किये अनुसार विभाग विभाग के संबंध में प्राथमिकता प्राप्तिवित्त है।


 (श्री. अन्त बनोठ)
 श्रीमान्युक्त,
 राज्य प्रदेश, इंदौर

अभ्यासक कक्षाध्यक्ष, मध्यप्रदेश अंतरिक्ष इंडोर

क्रमांक 3/12/अ.ने./पांच/2019/10889-11118

इंदौर, दिनांक 31/12/2023

अधिसूचना

संगठन में अतिरिक्त 1948 सी.सी. 4(2) के अधीन नया प्रधिकारी के अधिकतम अभ्यासक मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश राज्य, स्व. विभाग पोपल की अधिसूचना क्रमांक 328/अ.3/18 ए/82, दिनांक 23.09.1982 के द्वारा व्यवस्थित की जाते हैं। नया प्रस्ताव अधिकारों का प्रयोग करते हुए इच्छित अकेल भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के वेब यूरी, दिनांक 01/04/2023 से वेब साइट, अभ्यासक, मध्यप्रदेश इंदौर दिनांक 01/04/2023 से दिनांक 31/12/2023 तक के माहों के लिए सूचकांक में दिनांक अनुसार अधिक संधेय प्रकाशित करना है।

माह/ वर्ष 2022	अकेल भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य सूचकांक दिनांक 01/04/2023
1 जनवरी, 2022	5223.90
2 फरवरी	5217.57
3 मार्च	5285.06
4 अप्रैल	5394.52
5 मई	5480.58
6 जून	5495.43
7 जुलाई	5523.41
8 अगस्त	5559.18
9 सितंबर	5551.46
10 अक्टूबर	5700.35
11 नवंबर	5710.36
12 दिसंबर, 2022	5897.22
औसत	5494.83 - 12-6495.06 औसत (5495)

यह सूचकांक इच्छित अकेल 5495 अधीन प्रकाशित है। जो कि इस सूचकांक (जिसमें 01/04/2023 से 31/12/2023 तक निर्धारित अकेल के लिए अधिकतम अकेल निर्धारित व्यव. सूचकांक (संगठन सूचकांक) और अकेल अकेल इच्छित अकेल) होगा। इस आधार पर स्व. विभाग पोपल की अधिसूचना क्रमांक 328/अ.3/18 ए/82, दिनांक 23.09.1982 के द्वारा प्रस्ताव में माह 4(2) दिनांक 12 दिसंबर 2018 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनिधित्व प्रकाशित अकेल अकेल के लिए 01/04/2023 से 31/12/2023 तक प्रकाशित होगा।


 (डॉ. अनांद सिंह)

आ अभ्यासक,
 मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा संगठन में अतिरिक्त 1948
 के अधीन नया प्रधिकारी

परिचालनीय मंडलाई बरों के संग्रहण एवं पुनरीक्षण बरों के संबंध में विवरण/मंक सीए

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एच 4 (सी)-ए-34-13-ए दिनांक 5.2.27 (मं 2 राजपत्र दिनांक 7.5.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एच 4(सी) 1-2313 दिनांक 8.12.2013 (मं 2 राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी कच्ची बरों के खानों को संयोजित हो के विनिर्माण के नियोजन में बरों को अर्द्ध आजीव सम्भारक मूल्य सूचकांक से अलग किया गया है। आ दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

अभाव्यता कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पंच/मं/ 16.359 - 1/11/2 दिनांक 23.1.23 से 23.1.23 के अनुसार जनवरी.2022 से दिसम्बर.2022 तक श्री अचर में अर्द्ध आजीव सम्भारक मूल्य सूचकांक का संयोजन 5486 रहा है इस तरह अर्द्ध आजीव सम्भारक मूल्य सूचकांक के 5486 (1300-120) के प्रकार आंकड़ों के अंतर्गत के रूप में (0435-5293-3156 पंखों) 5190 आसने बंदुओं को वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम-वस्त्र किन्हीं अभाव्यता विभागों की बरों के खानों में सम्पादित है) के विनिर्माण के नियोजन के लिये परिचालनीय मंडलाई बरों 1 ईसे बरों बंदु प्रति हजार बरों के रूप में रूप में 5190 परे-तन्शील मंडलाई बरों दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

(अनुसूची - 3)

किसी कच्ची बरों के खानों की सम्पत्तियों के विनिर्माण के निश्चयन

कर्मचारियों का नाम	व्यक्तित्व बरों के पुनरीक्षण बरों के खानों में	मंडलाई बरों के खानों में	रूप में
1. श्री अचर (200 बरों खानों के लिए)	7400	5190	क 1300 किसी बरों के खानों में अर्द्ध आजीव सम्भारक मूल्य सूचकांक के अंतर्गत के रूप में (0435-5293-3156 पंखों) 5190 आसने बंदुओं को वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम-वस्त्र किन्हीं अभाव्यता विभागों की बरों के खानों में सम्पादित है) के विनिर्माण के नियोजन के लिये परिचालनीय मंडलाई बरों 1 ईसे बरों बंदु प्रति हजार बरों के रूप में रूप में 5190 परे-तन्शील मंडलाई बरों दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

नोट- एक हजार बरों के खानों के अंतर्गत परिचालनीय मंडलाई बरों रूप में 1300 बरों के अंतर्गत किसी बरों के खानों के अंतर्गत के रूप में (0435-5293-3156 पंखों) 5190 आसने बंदुओं को वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम-वस्त्र किन्हीं अभाव्यता विभागों की बरों के खानों में सम्पादित है) के विनिर्माण के नियोजन के लिये परिचालनीय मंडलाई बरों 1 ईसे बरों बंदु प्रति हजार बरों के रूप में रूप में 5190 परे-तन्शील मंडलाई बरों दिनांक 1.04.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

इस प्रयोजन के लिये उपरोक्त नमूने के का वर्गीकरण कियातुर र निम्न समुदाय,

- 1- कुमाल: श्यामल (पादाङ्क) (क-डी नमून), एनास्टेट, कुर्मी केशिज, स्तोडिगर सुकाली
गिडाल: कंगर
- 2- अधकृशाल:- पीडी जटनी तथा जाल कलने बाला, मण्डीकल एगोडवा, हाईगर (सक मडन)
कईगोड, बिलमिन, कंगर



(श्री. बीरेंद्र सिंह)
आ आधुक्त.

कलकत्ता इली


तथा - कलकत्ता वेतन अधिनियम 1948
के अंतर्गत सहायक अधिकारी

Effectiv Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)

Effective from 1/04/2023 to 31/3/2024

V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2023

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variable Dearness Allowance	31.96
3.	Leave with Salary (@5% of total wages)	5.30
4.	Total Wages	111.26
5.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	9.27
6.	P.F. contribution of employer (@ 10% of total wages)	11.13
7.	Total wages + Bonus+PF Contribution) Less Contribution of employer (-)	131.60
8.	Total Wages+ Bonus	120.53
9.	Less PF Contribution of employee (@ 10% of Total Wages (-)	11.13
10.	Net Payable to Beedi Roller	109.40


 (Dr. V. Venkatesh Singh Rawat)
 Labour Commissioner
 Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्वेष/पांच/2015/ 28503-750


इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन म.प्र.शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी के अधिष्ठात श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्याखोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त कर जे. श्रीकांत बनोठ, श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर दिनांक जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिये सूचकांक में निम्नाङ्कित आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

माह / वर्ष	अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2023	382.46
फरवरी, 2023	382.18
मार्च, 2023	383.90
अप्रैल, 2023	386.50
मई, 2023	387.94
जून, 2023	392.83
औसत सूचकांक	385.97 (385)

तथा स्वभावसुर इकाई (सीसर 386 घोषित करता हूँ, जो कि किसी उम्मीद (जिसमें बोडी बगल भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये आंशिक औसत निर्देश व्यवस्था सूचकांक (एन्युअल एवरेज कन्स्ट्रॉफ़ लिनिंग इन्डक्स संकर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)म-2013-2-मालह, दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश शासन के भाग 4(1) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मद्भाग्य प्रदत्त निर्णयित टैबल या गानिक दर से वेतन जाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय रहेगा।


(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

(1) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

किन्नी तम्बाकू (जिसमें शीशी शनाता भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये परिवर्तनशील मंहगाई आते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, ओडिशा की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) ए 94-16-ए, दिनांक 5.6.1997 (म.प्र.राजपत्र दिनांक 7.5.1997) एवं श्रम विभाग, गुजरात की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1 2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र.राजपत्र भाग (श) दिनांक 12 दिसंबर, 2014) के अंतर्गत किन्नी तम्बाकू (जिसमें शीशी शनाता भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अधिकतम भारतीय उपशोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

अमासुक्त कार्यालय, अरुण प्रदेश शासन, इन्टौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अल्पे/पांच/2015/ **28503-750** दिनांक **25/09/2023** के अनुसार जनवरी-2023 से जून-2023 तक की अवधि में अधिकतम भारतीय उपशोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत 08 माहों का औसत 379 रहा था। अतः इसके कारण गत 08 माहों में अल्पे मिलने वाले अधिकतम भारतीय उपशोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (386-379) = 07 पाइसेट; 07 औंसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप शीशी नियोजन में दैनिक एवं तासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई आता रुपये 25/- प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये 25*07 = 175 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अधिकतम भारतीय उपशोक्ता मूल्य सूचकांक में 219 (2001-100) के उपर कुल उपशोक्ता मूल्य सूचकांक में 386-219-147 औंसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई आता की कुल राशि (25*147) रुपये 3675/- प्रतिमाह अथवा (3675*26/- रुपये 175/- प्रतिदिन) प्रतिमाह 8750 रुपये या 8750*28= 336 रुपये 54 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

बीछे विभाग के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील संग्रहाई अर्हता सहित दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक निम्नानुसार देय है :-


(आंकड़े रुपये में)

क्र	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील संग्रहाई अर्हता		कुल वेतन		रुपये राशि अथवा दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तय्याक तथा के.ए.ए.आ. 3से का वी.डी.नां प्राप्त करने एवं उसकी उपाई करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तय्याक नियुक्त तथा उनमें का कार्य करने के लिए, भारती गला, रसाईया, गहल (अथवा (आजक) हल्लो गहल, रायपेस्ट, कर्कें दिनांक	5075	195.19	3675	141.35	8750	336.54	337
2	इके में लाल गदाने या इलाक़े या वी.डी.वर्ग के पूर्ण दर अर्हते के बल में लगे व्यक्ति, गृह्य, धोकीअर	4945	190.19	3675	141.35	8620	331.54	332
3	इन्वेंशन (आजक) आरी गहल, गणउर्दर, गृहीअ, के.डी.अ, अर्हते अथवा गौडकनार, हेडाकरी	5225	200.96	3675	141.35	8900	347.31	347

रपड्डीकलण

- 1- लजदूरी विभागा में गैरे तथा रूपडे के गुणांकी लो रणुण-अथ करके ही दैनिक एव मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। विलत विभाग के परिषद क एक 9-7/2006/ विभाग/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2008 में 50%से अथवा उसके अधिक में ही लो, उन्हें अगले उच्चतर रूपडे में पूर्णकिल किया जावेगा और 50%से से कम राशि लो छेड दिया जावेगा।
- 2- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का ज्वलन किसी भी कर्मचारी पर अनिश्चित प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विद्यमान वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पूर्णकिल दरों से अधिक है, तो किसी भी दर में कम नहीं की जावेगी। जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उनके सतकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1)ए)।
- 3- न्यूनतम वेतन दरों का ज्वलन किसी भी कर्मचारी पर अनिश्चित प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दर पूर्णकिल दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दर में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (1) के अंड (क) के अधीन परिचालित किए अनुसार विभाग विषय के संबंध में त्रिबुनल एक वेतन दरों को सार्वभित है।
- 4- परिवर्तनशील संग्रहाई अर्हता अर्हक अनुसूची-इ के सार्वभ लीन में लेबर ब्यूरो शिमल द्वारा निर्मित आंगोविक अर्हक के विषे अर्हक आरतीय सार्वभक सूच्य सूचकांक 5635(2001=100) पर अधिनित है। 5635 सूचकांक

- के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के सतम्भ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 01 जनवरी से की जायेगी और सतम्भ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नहीं जायेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना मत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकृति की जायेगी।
5. तिथोपेक्षा मासिक वेतन कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन या वेतन स्थापित करना ही ही मासिक वेतन को 26 से आगे देकर संगणित किया जायेगा।
 - 6- जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी खाने के लिये लगने वाला कच्चा माल (सुआकू, लेन्दूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज कहा जायेगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
 7. गारण्टी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन आगे नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
 8. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण का इच्छा से किसी भी दिन गारण्टेड वेज की स्थिति में कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारण्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
 - 9- जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीडीय सप्ताह में बनाए जा लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता है, तो वह गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
 10. आग, विपत्ति, सप्तमारी, असीदिक बीम या इसके समान अन्य विपत्ति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।


 (श्रीकान्त चोदरी)
 समायुक्त,
 सभ्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 4/11/अन्वै/पांच/2015/ 28751-999

इन्दौर, दिनांक 25/03/2023


अधिसूचना

अगरवल्ली उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार अनायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/813/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एन्युइयार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के जेवर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त कर, मैं डॉ.वीरेन्द्र सिंह रावत, अनायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विगत 27 अगस्त, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अखिल भारतीय अगरवल्ली उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001-100)
जनवरी, 2023	382.46
फरवरी, 2023	382.18
मार्च, 2023	381.90
अप्रैल, 2023	386.50
मई, 2023	387.94
जून, 2023	392.83
औसत सूचकांक	235 ÷ 6 = 385.97 (386)

रथा विगत छःमाहों का औसत 386 घोषित करता हूँ, जो कि अगरवल्ली उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये औसत नियोज व्यव सूचकांक (कास्ट ऑफ़ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा. इस अन्धर पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-1-2013-ए-भोन्नह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 4) दिनांक 10.10.2014 से प्रकाशित) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक श्रम 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील संकाई अन्व अन्व अगरवल्ली उद्योग में नियोजित श्रमिकों के दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।


(श्रीकांत यलोठ)

अनायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

रथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील-संहार्य भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक-टीप

अगरबत्ती-उद्योग

कर्म विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी): 1-2013-ए सितह, दिनांक 29.09.2014 एवं कर्म विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग-4(ग): दिनांक 10.10.2014 (सभ्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती-उद्योग में नियोजित कर्मियों की न्यूनतम वेतन दरों को अधिन भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

यत्नायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्ट्रॉर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वै/पांच/2015 / 20751-333 दिनांक 25/09/2023 के अनुसार जनवरी-2023 से जून-2023 तक की अवधि में अधिकतम भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छः माहों पर औसत 379 रहा था। अतः इसके कारण गत छः माहों में कर्मियों को अधिकतम भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (386-379) = 07 पॉइन्ट) 07 औसत विन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती बिन्दु-जल में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता रुपये 25/- प्रतिविन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये 25x07 = 175 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अधिन भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001=100) के अंगे कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 386-241=145 औसत विन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की कुल राशि रुपये 25x145=3625 प्रतिमाह या 3625÷26=139 रुपये 42 पैसे प्रतिदिन दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति एक हजार विन्दु के मान से कुल विन्दु 175 पर (145+4=16.75) रुपये 26.25 पैसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय होगा।

अनुसूची - एक

अगरबत्ती-उद्योग में नियोजित कर्मियों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी को पुनरीक्षित महंगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	21.40	रु. 36.25 100 पैसे प्रति 4000 (25 पैसे प्रति विन्दु)	रुपये 57.65
(ब) सुगंधित (सेंस)	22.00	रु. 36.25 100 पैसे प्रति 4000 (25 पैसे प्रति विन्दु)	रुपये 58.25

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन विरली भी कर्मियों पर प्रतिफल प्रभाव नहीं आयेगा, यदि विद्यमान वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह विरली भी दरों में कम नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-3)।

[जा] निम्न वजन के अनुसार जगदल्ली गिन्दना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पेंकेट में भरकर पैकेट के दोनो ओर चिट लगाकर पैकेट बन्द करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 20.48	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति चिन्टु)	रुपये 49.48
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति चिन्टु)	रुपये 50.34
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति चिन्टु)	रुपये 50.34
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 27.28	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति चिन्टु)	रुपये 63.48
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 36.58	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति चिन्टु)	रुपये 84.42
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 41.54	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति चिन्टु)	रुपये 99.54
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति चिन्टु)	रुपये 101.12
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 57.76	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति चिन्टु)	रुपये 125.26

सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति चिन्टु)	रुपये 50.34
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 26.00	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति चिन्टु)	रुपये 62.25
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 33.00	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति चिन्टु)	रुपये 80.25

4. 40 ग्राम यजन के	प्रति सैकड़ा रु. 34.48	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 82.33
5. 70 ग्राम यजन के	प्रति सैकड़ा रु. 37.03	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 84.88
6. 80 ग्राम यजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 101.12
7. 100 ग्राम यजन के	प्रति सैकड़ा रु. 51.00	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 123.50
8. 200 ग्राम यजन के	प्रति सैकड़ा रु. 54.47	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 126.97

इ) निम्नानुसार पुंगनी बनाकर सेवा करने निम्न संख्या में अगस्तियों को गिनकर दिल्ली तपेदना, पुंगलियों में भ्रमण, लेमल या सिनोफेन या जिलेटिन का वाइन पेंपर लगाकर दन्ड करना।

बिना सिनोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अगस्तियों के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 15.98	रु. 24.65 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 41.63
2. 12 अगस्तियों के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 17.80	रु. 24.65 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 42.45
3. 25 अगस्तियों के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 21.30	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.30
4. 50 अगस्तियों के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 27.15	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 57.15
5. 100 अगस्तियों के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 35.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 61.85
6. 200 अगस्तियों के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 28.70	रु. 35.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 64.95

(इ) सादे लिफाफे में अगारवल्ली रखकर धुन्द करना।

1. 5 अगारवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 3.85	रु. 5.80 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 9.65
2. 10 अगारवल्ली के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 4.44	रु. 7.25 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 11.69
3. पुंगली बनावे के करगज (रोलिंग पेपर)	प्रति सैकड़ा रु. 36.34	रु. 10.15 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 46.49

कर्मचारियों का वेतन (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी
दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक

(आंकड़े रुपये में)

क्र. सं.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंजूरी भत्ता		कुल वेतन		राज्यदमन रुपये में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	पुत्रा बनने वाला, मसाला भरती वाला, मृत्यु चंकीदार	5935	229.42	3625	139.42	9564	367.85	358
2	टाइमिस्ट, प्रवर्क, पेटी भरने वाला, मसाला लोडने वाला	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	401
3	एफाउन्टेड, केशिचर, नोडाल क्लर्क, लिफ्टी, ड्रायवर, डी. बलानो आदि	8435	324.42	5625	139.42	12060	462.85	454

नोट - अगर कर्मचारी उद्योग से संबंधित कर्मचारी जैसे, पेटी बनाने वाला, लिफ्टी, ड्रायवर, पेटी भरने वाला, मसाला लोडने वाला, एफाउन्टेड, केशिचर, नोडाल क्लर्क, टाइमिस्ट, प्रवर्क, मृत्यु आदि को दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अर्ध-पुशा, अर्द्ध-पुशा, एवं अकुशात एवम् की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जायेगी।

राष्ट्रीयकरण -


1. मजदूरी निर्धारण में पीछे तथा रुपये के मुद्राओं का राज्यदमन करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-2-2005/विपम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2005 में 50 पैसे अथवा इससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णकृत किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रयोजन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल उभाव नहीं होगा, यदि विद्यमान वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो वह किसी भी दर से कम नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

2. अनुसूची के तालिका 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंजूरी भत्ता (सी डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून, 2014 में अंतिम अधिनियम क्रमांक 198/2014 अथवा सूचकांक 101 में इससे पहले पश्चात सूचकांक 102 (2001-100) से अंतिम पर इन अधिसूचना के कालखंड में उपदर्शित प्रत्येक कर्मचारी को लिखित पत्र द्वारा सूचित किया गया अनुसार दर से तथा मासिक दर पर केवल कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति दिवस नहीं माह की दर से रकम होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छ महीने जून/ई से दिसंबर

तथा जनवरी से जून, जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और क्रमशः 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील मंडगाई अर्थात् न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का पर्यटन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिफल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दर न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विज्ञापन दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।


(श्रीकांत बहोट)

श्रमायुक्त,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 5/11/अल्प./पंच/2015/ 29000-250

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

अधिसूचना

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2023 से न्यूनतम वेतन की दर, परिवर्तनशील मंहगाई अन्तर्गत रहित प्रभावशील कारने के संबंध में।

स.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2018 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित अन्न विभागीय अधिसूचना क्रमांक एन.4(सी)1-2013-अ-18 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दर सुनरीक्षित की गई थी, जो अधिल भारतीय उद्योगोक्ता मूल्य सूचकांक 24 (जनवरी से जून, 2014), 2001= 100 के अधर आधर संबंध की गई है। जो दिनांक 10 जून, 2018 से लागू है।

उपरोक्त अधिनियम अधिसूचित विनियमों की सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 53 तथा 57 से 64, 68 एवं 70 से 72 तक कुल 67 विनियमों के न्यूनतम वेतन की दर अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई अन्तर्गत से विनियोजित करती हुए प्रभावशील की गई है। माह जनवरी से जून, 2023 का छः माहों का औसत सूचकांक 386 रहा है, अतः इसके कारण का छःमाहों के अन्तर्गत विनियम अधिनियम अधिसूचित भारतीय उद्योगोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत (379) के उपर (386-379)= 07 अंतर्गत विनियमों की वृद्धि हुई है। फलस्वरूप दिनांक 01.10.2023 से 01.10.2024 तक जारी दर निम्नानुसार रहेगी:

अनुसूची - अ

67 अनुसूचित विनियमों में अतिरिक्त एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई अन्तर्गत रहित विनियम हैं:

(28 टि. के अन्तर्गत) (अंक 644 से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई अन्तर्गत		दूर वेतन		स्तरों से अतिरिक्त एवं दैनिक दर प्रतिदिन स्तर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
असुशाल	6300	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
अर्द्धकुशल	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
सुशाल	9435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
उच्चकुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514

अनुसूची - ब

दिल्ली स्टेट पैब्लिक विमाण शफ्ट अं विनियम

आधिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई अन्तर्गत रहित विनियम हैं।

(28 टि. के अन्तर्गत) (अंक 644 से)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई अन्तर्गत		दूर वेतन		स्तरों से अतिरिक्त एवं दैनिक दर प्रतिदिन स्तर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अजदूर	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
पेकर, पट्टी पेकर, रिपर	6705	257.85	3625	139.42	10350	397.11	397
सुशाल, लेखाकार, कर्तक आदि	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
सोतरी, गिरवी पाईन्टरी	8522	385.25	3625	139.42	13147	505.65	506
उच्चकुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
मन्त्री	10755	390.57	3625	139.42	13780	530.00	530

अनुसूची - स

मिन्नी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है
(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राजस्व कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अधिकृत वर्ग							
अधुशल	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
श्रेणी एक	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
श्रेणी दो	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
उच्च कुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	9685	372.50	3625	139.42	13310	511.92	512
श्रेणी दो	9378	360.60	3625	139.42	13003	500.12	500
श्रेणी तीन	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
अर्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
श्रेणी दो	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411

अनुसूची - स

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन श्रेणी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है:

(30 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राजस्व कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अधुशल	6500	216.66	3325	112.83	9825	327.50	328
अर्धकुशल	7057	235.23	3625	120.83	10682	356.07	356
कुशल	8435	281.16	3625	120.83	12060	402.00	402
उच्चकुशल	9735	324.50	3625	120.83	13360	445.33	445

अनुसूची - ट (वर्षा नियोजन)

जनवरी से जून 2023 तक वर्षा का कृषि श्रमिक उपगोष्ठय राज्य सरकार का अधिन 1780 है इसके एव की दर गरीब एवं अर्ध गरीब 1152 या, निम्नोक्त कारण 28 दिनों की छुट्टी होने से वर्षा नियोजन में मंहगाई भत्ता नहीं सम्मिलित न्यूनतम वेतन के माता - 130 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राजस्व कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अधुशल	6350	178.33	2477	82.40	7827	260.73	261

बीडी नियोजन

अखिल भारतीय उपशोक्ता मूल्य सूचकांक में अधारित उपशोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के औसत के उपर 3196 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी हरे दिनांक 01.04.2023 से 31.3.2024 तक निम्नानुसार रहेगी :-

अनुसूची - ई (बीडी नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
बीडी रोडर (1000 बीडी बनाने के लिए)	74.00	31.96	105.96

नोट - एक हजार बीडी बनाने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते रुपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीडी अधिकारी को बोनस पेटे 5 रुपये 27 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में तगद भुगतान 5 रुपये 30 पैसे (5%) एवं अविध्व निधि आवद्ध नियोजक का अंशदान 11 रुपये 13 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 131 रुपये 65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से अधिकारी का एव नियोजक का अविध्व निधि अंशदान ही कटौती रुपये 22 26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीडी वेतन पर दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में अधिकारी को 11 रुपये 13 पैसे एवं अविध्व निधि कटौती की राशि 11 रुपये 13 पैसे अथवा कुल राशि 119 रुपये 00 पैसे एव 1000 बीडी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन


अखिल भारतीय उपशोक्ता मूल्य सूचकांक में अधारित उपशोक्ता मूल्य सूचकांक 74 (2001=100) के औसत के उपर 44 औसत के औसत सूचकांक 529 के उपर औसत 31 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी हरे दिनांकानुसार रहेगी :

अनुसूची - एफ (अगरबत्ती नियोजन)

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रुपये	कुल वेतन रुपये
(अ) अगरबत्ती रोडर (1000 अगरबत्ती रोडर करने पर) साधारण दर	21 40	₹ 36 25	रुपये 57.65
(ब) सुनंदिन (रीटैड)	22 00	₹ 36 25	रुपये 58.25

संश्लेषण - : स.प.न्यूनतम वेतन का आह्वार परिणत की दिनांक 20.02.2026 से हुई वर्षों में सर्वसम्पत्ति से परिणत परतक अद्यतन संश्लेषण में पैसे तथा रुपये के गुणकों का अंशदान करने की दैनिक/मासिक गजदारी विधियों के लिए अद्यतन प्रावधान रुपये में संश्लेषण कर दैनिक हरे दिनांकानुसार जारी होगा।

1. वित्त विभाग के परिणत न. एक ए-79-77/2016/वि.स.7/वा.स, दि. 20 दिसंबर, 2016 से 50 पैसे का इतना अधिक पैसे 50 पैसे एवं अगर उपरकर वाले है पूर्णतः विनियमन प्रयोग और 20 पैसे का काम राशि को देय दिया जाएगा।
2. राज्य शासन द्वारा दिनांक 18 अक्टूबर, 2015 को जारी एवं ग.प.संश्लेषण दिनांक 22 अक्टूबर, 2015 में एकत्रित अद्यतन संश्लेषण देय गजदारी की दर दिनांक 01.06.2015 से अनावशील की गई है।



(श्री.कांत बसोड)

अगस्त्यक,

मध्य प्रदेश, इन्दौर

प्रेस विज्ञप्ति

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक प्रभावशील वेतन है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर से दिनांक 01.10.2023 से रुपये 175.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अनुसूचित नियोज्जनों से कार्यरत श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक वेतन की पुनरीक्षित दरें घोषित की जाती हैं, जो अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित नर संबद्ध की गई है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की छःमाहों में कुल सूचकांक का औसत 386 रहा है। इसके कारण गत छःमाहों में मान्य किये गये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उपर 07 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रुपये 25.00 प्रतिबिन्दु की दर से $25 \times 7 = 175.00$ रुपये (एक सौ पचाहत्तर रुपये) प्रतिमाह की वृद्धि शमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.10.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रुपये 3625/- प्रतिमाह अथवा रुपये 139.42 प्रतिदिन देय है।

अतः शमायुक्त द्वारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से आगामी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोज्जनों में अकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 9825/- या प्रतिदिन रुपये 377.88, अर्धकुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 10682/- या प्रतिदिन रुपये 410.85, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 12060/- या प्रतिदिन रुपये 463.85 तथा नव्य कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 13360/- या प्रतिदिन रुपये 514.00 पैसे देय होगा।

कृषि नियोज्जन में गत छःमाहों में मान्य किये गये अधिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (1180-1152) = 28 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर वर्तमान मंहगाई भत्ता में प्रतिमाह रुपये 168/- की वृद्धि शमायुक्त द्वारा घोषित की गई है। जिसके आधार पर अकुशल कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 7822/- या प्रतिदिन रुपये 280.73 पैसे की मजदूरी मंहगाई भत्ते तहत दिनचर्या दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक के लिए देय होगा।

एक हजार बीडी बेल्टों पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीडी श्रमिकों को थोस पेटे रुपये 9.27 पैसे (8%), अर्जित अवकाश के एवज में नकद हुगतान रुपये 05.30 पैसे (5%), एवं भविष्य निधि बाबद नियोज्जक का अंशदान रुपये 11.13 पैसे (10%)। इस प्रकार कुल रुपये 131.65 पैसे देय होंगे। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोज्जक का भविष्य निधि अंशदान को कटौती रुपये 22.26 पैसे की होगी। इस प्रकार 10XX बीडी बेल्टों पर दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से रुपये 11.13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि रुपये 11.13 पैसे उपरन्त शुद्ध राशि रुपये 109.40 पैसे प्रति हजार बीडी देय होंगी।

अगरबत्ती नियोज्जन में गत छःमाहों का औसत 386 रहा है। जो इसके पूर्व की छःमाहों के औसत 379 से ज्यादा है, इसके कारण गत छःमाहों में मान्य किये गये अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के उपर (386-241) = 145 औसत बिन्दुओं एवं अगरबत्ती नियोज्जन में भी अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-379) औसत 07 बिन्दुओं की वृद्धि होने के कारण दिनांक 01.10.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिए रुपये 57.65 पैसे तथा सुगंधित अगरबत्ती के लिए रुपये 58.25 पैसे प्रतिहजार अगरबत्ती की मजदूरी देय होगी।

स्पष्टीकरण -


- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एच.9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतम रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्य/पांच/2015/ 29251-53
प्रतिलिपि -

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

- 1- संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित।
- 2- उपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 3- केन्द्र, निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर वितरण हेतु प्रेषित।


(श्रीकान्त बतनाग)

श्रमायुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वये/पांच/2015/ 29254-500


इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

प्रति,

- 1- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चित्त विभाग, भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/वि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल।
- 4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल ।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जन संसाधन विभाग, भोपाल ।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं यंत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पृथक कल्याण विभाग, भोपाल।
- 8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत श्रेणियां)।
- 9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल ।
- 10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल।
- 11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल ।
- 12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरिय प्रशासन एवं विध्वंस विभाग, भोपाल ।
- 13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नर्मदा जटी विकास विभाग, भोपाल।
- 14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल।
- 15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल।
- 16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प्र. इन्दौर।
- 17- महालेखकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
- 18- उप निदेशक शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, म.प्र. की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के सम्स्त दैनिक समाचार पत्रों में ति: शुल्क जमाशुनार्थ प्रेषित ।
- 20- राहत आयुक्त, बल्लभ भवा, भोपाल।
- 21- उप संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 22- केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित ।
- 23- सम्स्त सभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 24- सम्स्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 25- गभारन मुख्य कर्मचारी अधिकारी, जिला पंचायत मध्यप्रदेश।
- 26- संचालक कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 27- प्रमुख अधिकारिता, जन संसाधन विभाग, भोपाल।
- 28- प्रमुख अधिकारिता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
- 29- प्रमुख अधिकारिता, लोक स्वास्थ्य एवं यंत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 30- प्रमुख वन संरक्षक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 31- अपर श्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर।

- 32- समस्त उप क्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 33- संचालक / समस्त संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश।
- 34- समस्त सहायक क्रम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 35- समस्त क्रम पदाधिकारी, मध्य प्रदेश।
- 36- प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएं, अमरयुक्त कार्यालय, म.प्र. इन्दौर।
- 37- सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 38- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 39- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 40- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश क्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 41- लेबर ज्यूरि, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त जियोजनों में न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहवाई अन्तर्गत सहित प्रभावीकरण करने के लिए जिलों में पटस्थ वन निरीक्षकों को स्वर्णित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।


(श्रीधर कनोठ)
अमरयुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक १/११/अन्व/पांच/२०१५/ २३५०१-४५०


इन्दौर, दिनांक २५/०९/२०२३

प्रति,

- 1- कलेक्टर, जिला इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यांपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 2- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यांपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
- 3- उप श्रम आयुक्त, इन्दौर/ भोपाल।
- 4- सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नमंदापूरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल।
- 5- श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झाबुआ, अलिराजपुर, बडवानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्यांपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, निवाडी, जबलपुर, कटनी, छिंदवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया मध्य प्रदेश।
- 6- संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।
- 7- संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।
- 8- उप संचालक/ सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हायजिलेब इन्दौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बोन (तगर)।
- 9- सचिव, म.प्र.अवन एवं अन्य सनिताण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 10- सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 11- सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंटिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 12- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 13- लेबर ब्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर अनुरोध कायवाही हेतु प्रेषित।

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2023 से लागू परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें।

उपरोक्त विषयांतर्गत श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01.10.2023 से पुनरीक्षित/ प्रभावी की गई हैं। उक्त दरें पुस्तक के रूप में श्रम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिये श्रम विभाग की वेबसाइट www.labour.mponline.gov.in पर लॉग ऑन करने का कष्ट करें।


(श्रीकांत यनौठ)

अभियुक्त,
मध्य प्रदेश, इन्दौर